राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांकः– राम / प–1 / स्थानान्तरण / वि / स्था / 2020 / 5048-88 दिनांकः– 27/07/21

1– सम्भागीय आयुक्त (समस्त)
2– जिला कलेक्टर समस्त

विषयः– अर्न्तजिला स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) जयपुर की आज्ञा कमांकः प.5(1)प्रसु/सम/अनु–1/2018 दिनांक 06.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग जयपुर की प्रासंगिक आज्ञा (प्रति संलग्न) के द्वारा राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध में दिनांक 14.07.2021 से 14.08.2021 तक छूट प्रदान की गई हैं। साथ ही निर्देशित किया है कि कोविड–19 की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए स्थानान्तरण आवेदन पत्र संबंधित विभाग की वेबसाईट / पोर्टल पर ही ऑनलाईन स्वीकार किये जावें । इस हेतु कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा।

अतः आपके स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के प्रार्थना पत्र प्रासंगिक आज्ञानुसार आपके विभाग की वेबसाईट / पोर्टल पर ही स्वीकार किये जावें एवं मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के आवेदन पत्र मण्डल की ई–मेल आईडी transfer.bor@rajasthan.gov.in पर दिनांक 31.07.2021 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

मंत्रालयिक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / वाहन चालकों के प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में दोनों विभागाध्यक्षों की सहमति उपरांत ही भिजवानें का श्रम करावें, अपूर्ण प्रपत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

26/07/2021

(बी0 एल0 मीणा)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

कमांकःसम / दिनांकः–

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– राजस्व अपील प्राधिकारी (समस्त) ।
2– निबन्धक, भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर ।
3– विशेषाधिकारी (उपविधि परामर्शी) मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय जयपुर एंव जोधपुर।
4– प्रभारी अधिकारी (रातस , भू–अभिलेख व लेखा शाखा) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
5– अति0 निदेशक, कम्प्यूटर, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को निर्देशित किया जाता हैं कि स्थानान्तरण हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों को शाखावार छंटनी कर प्रतिदिन संबंधित शाखा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(भावना गर्ग)
उप निबन्धक (प्रशासन)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु

प्रार्थना पत्र

(कर्मचारियों द्वारा तीन प्रतियों में भरें)

सेवामें,

....

....

....

महोदय,

निवेदन है कि मै वर्तमान में .... कार्यालय में कार्यरत हूँ । मै अपना स्थानान्तरण .... कार्यालय में चाहता/चाहती हूं। मेरे संबंध में पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :-

1. नामः- ....
2. पिता/पति का नामः- ....
3. पद का नामः- ....
4. जन्म तिथिः- ....
5. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडी जाति/विकलांग/भू.पू. सैनिक हो तो लिखें। ....
6. राजकीय सेवा मे प्रथम नियुक्ति का माध्यम (नियुक्ति पद आयोग के माध्यम से हुई है तो वर्ष व मैरिट संख्या अंकित की जावे) ....
7. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक ....
8. शैक्षणिक योग्यता ....
9. टाईप की गति यदि कोई है हिन्दी................श.प्र. मिनट
   अंग्रेजी..............श.प्र. मिनट
10. क्या राजकीय सेवा में स्थाई है ....
11. गृह जिला ....
12. कार्यालय का नाम जहां स्थानान्तरण चाहते है ....
13. स्थानान्तरण चाहने का कारण ....
    ....

दिनांकः

(हस्ताक्षर कर्मचारी)

(जो लागू न हो काट देवें)

प्रार्थी जिस विभाग में कार्यरत है उस विभाग का विभागाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी के उपयोग हेतु (यदि प्रार्थी अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत है तो उसे पृथक पत्र के साथ विभागाध्यक्ष/ नियुक्ति अधिकारी के पास भेजा जावें)

क्रमांकः दिनांकः

मूल ही जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष (जहां स्थानान्तरण चाहते हों) ....को अग्रेषित कर निवेदन है कि श्री/श्रीमती .... इस कार्यालय में .... के पद पर कार्यरत है। यदि इनका स्थानान्तरण आपके कार्यालय में .... किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है । प्रार्थी द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये है उसकी पुष्टि कार्यालय में उपलब्ध सेवाभिलेख के आधार पर कर ली गयी है, जो सही है ।

(हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष)

(जहां कर्मचारी कार्यरत है)

....

प्रार्थी जहां स्थानान्तरण चाहता है उस विभाग के विभागाध्यक्ष के उपयोग हेतुः-

क्रमांकः दिनांकः

जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष .... से प्राप्त श्री/श्रीमती ....का मूल स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर निवेदन है कि विभाग/ कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के .... पद रिक्त है । यदि इनका स्थानान्तरण जिले/कार्यालय मे कर दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है । इनकी वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा ।

(हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष)

(जहां प्रार्थी स्थानान्तरण चाहता है)

....

<u>आवश्यक नोटः-</u> कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर संबंधित दोनो विभागाध्यक्षों की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही मण्डल को प्रेषित किया जायें। अपूर्ण पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा ।